मध्यम आय वर्ग के फ्लैटों के आवंटन में अनियमितताएं बरती गई;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली की विभिन्न बस्तियों में कितने फ्लैट अपंजीकृत व्यक्तियों को आवंटित किए गए थे ;

(ग) सरकार का संबंधित व्यक्तियों और इसके लिए जिम्मेदार दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है ; और

(घ) क्या अपंजीकृत व्यक्तियों के नाम पर किए गए आवंटन रद्द किए जाएंगे और यदि हां, तो कब तक ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) से (घ). सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

विस्थापितों का पुनर्वास

1127. **श्री गंगा भक्त सिंह :** क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दिए गए उस आश्वासन को कार्यान्वित कर रही है कि आपात काल के दौरान गैर कानूनी रूप से खाली करा कर गिराये गए मकानों के बदले नये मकान निर्मित करेगी और आवंटित करेगी;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली में अब तक कालोनीवार कितने मकान आवंटित किए गए हैं ; और

(ग) इसमें और कितना समय लगेगा और यह कार्य कब तक पूरा हो जाएगा ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) से (ग). सरकार ने यह सैद्धान्तिक निर्णय ले लिया है कि आपात काल के दौरान जिन लोगों को रिहायशी क्षेत्र से हटाया गया था उन्हें उन्हीं के मूल स्थानों पर पुनः बसाया जाएगा । दिल्ली विकास प्राधिकरण ने ऐसे व्यक्तियों से दावे आमंत्रित करने के लिए दो नोटिस जारी किए हैं । एक नोटिस अर्जुन नगर से संबंधित है तथा दूसरा नोटिस शेष क्षेत्रों से । अर्जुन नगर के प्लाटधारियों से आवेदन प्राप्त करने की अन्तिम तारीख निकल चुकी है और उनके मामले विचाराधीन हैं । अतः यह आशा की जाती है कि अर्जुन नगर के प्लाटधारियों की पुनर्वास योजना शीघ्र ही पूरी हो जाएगी । जहां तक अन्य क्षेत्रों का सम्बन्ध है अपने दावे प्रस्तुत करने की अन्तिम तारीख 31 जुलाई, 1978 है । इसके बाद इन आवेदनों पर कार्यवाही की जाएगी तथा पुनर्वास स्कीमें तैयार की जायेंगी ।

इस कार्य को पूरा करने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती ।

Admission of Students securing 33 per cent marks

1128. SHRI AMAR ROY PRADHAN: Will the Minister of EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE be pleased to state:

(a) whether a demand from the students has been received by Government that admission be given to those students who secured 33 per cent or above aggregate marks; and

(b) if so, the details thereof and the action taken thereon?

THE MINISTER OF EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE (DR. PRATAP CHANDRA CHUNDER): (a) The Delhi Administration has not received any such demand. According to the eligibility criteria for admission to class XI at the plus two stage, all students securing 33 per cent or above aggregate marks in class X are eligible for admission in class XI.

(b) Question does not arise.